अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम जहाजपुर

दावा/अपील/प्रार्थना पत्र बनाम जमाबन्दी/कृषि भूमि रूपान्तरण

किस्म मुकदमा 111-128 RLR नं. 440 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरसिमा पटवार हल्का सरसिमा भू.अ.नि. जहाजपुर तहसील जहाजपुर की कृषि आराजी खसरा संख्या 2838 रकबा 1.06 बीघा, 2839 रकबा 3.09 बीघा, 2841 रकबा 0.15 बीघा, 2842 रकबा 6.13 बीघा, 2843 रकबा 2.15 बीघा, 2844 रकबा 4.10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी एवं सह-खातेदारों के नाम दर्ज होकर कब्जे काश्त उपभोग-उपभोग में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 होने से उन्हें सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कराकर भूमि को उपयोगी उपजाऊ एवं विकसित करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की तरह में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बागुदार पटवार हल्का बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ.नं. 2838 रकबा 1.06 बीघा, 2839 रकबा 3.09 बीघा, 2841 रकबा 0.15 बीघा, 2842 रकबा 6.13 बीघा, 2843 रकबा 2.15 बीघा, 2844 रकबा 4.10 बीघा कृषि भूमि की बसामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाए [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner